मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-6/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- फरवरी-मार्च 2014 में हुई असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि में हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय व्यय को नियंत्रित करने बावत् ।.

—❖—

विषयान्तर्गत शासकीय व्ययों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विदेश प्रवास :-

मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश शासन के उपक्रमों के व्यय पर विदेश भ्रमण की वित्तीय वर्ष 14-15 में अनुमति नहीं दी जायेगी । अपरिहार्य प्रवासों के दल के सदस्यों की संख्या को न्यूनतम रखा जाएगा तथा संबंधित विषय के अधिकारी ही दल के सदस्य रह सकेगें ।

2. शासकीय व्यय :-

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 208/आर 05/चार/ब-1/2014 दिनांक 3-2-14 द्वारा दिनांक 5-2-14 के पश्चात क्रय को चालू वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबंधित किया गया है । क्रय प्रतिबंध से छूट सिर्फ अति आवश्यक प्रकरणों में ही दी जायेगी ।

3. नवीन वाहन क्रय :-

नवीन वाहन के क्रयों पर प्रतिबंध रहेगा । आपवादिक परिस्थितियों में वाहन क्रय की दी जाने वाली अनुमति की व्यवस्था में भी ₹ 7.50 लाख से अधिक कीमत के वाहन क्रय हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. आहरण के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति :-

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल 1-10/33/2014/ब-7/डीएमसी/चार दिनांक 13-1-2014 द्वारा ₹ 25 करोड़ / ₹ 50 करोड़ से अधिक के आहरण के लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमति की आवश्यकता रखी गई हे । नियमानुसार राज्य कोष से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता/देयता निर्मित होने पर संबंधितों को भुगतान के लिये ही किया जा सकता है । सभी विभाग उक्त नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sonta/panpu2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-6/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग